सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 163 राँची ,मंगलवार

26 फाल्गुन 1936 (श०)

17 मार्च, 2015 (ई०)

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

13 मार्च 2015

संख्या-**02/**निग॰सह॰**-73/2013-600--** श्री चन्द्रदेव रंजन] तत्कालीन प्रबंध निदेशक] दी राँची-खूँटी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0] राँची को न्ज्प् की योजनाओं में अनियमित ढंग से विनिवेष कर निजी लाभ के लिए बैंक को भारी आर्थिक क्षति पहुँचाने संबंधित आरोप के लिए **Civil Services (classification control and appeal) Rules 1930** के नियम-49(A)(1)(**1**) के तहत् विभागीय अधिसूचना संख्या-99 दिनांक 09 जनवरी**,** 2014 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया ।

उक्त आरोप के लिए प्रथम द्रष्टया दोषी पाते हुए श्री रंजन के विरूद्ध सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के तहत् विभागीय संकल्प संख्या-1510 दिनांक 28 अप्रैल**,** 2014 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । साथ ही विभागीय पत्रांक-2061 दिनांक 13 जून**,** 2014 द्वारा श्री रंजन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निर्गत उक्त संकल्प के साथ संलग्न आरोप प्रपत्र-क के स्थान पर नये सिरे से गठित प्रपत्र-क **(**साक्ष्य सहित**)** संचालन पदाधिकारी को भेजा गया ।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-5422(S)WE (गो0) दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री रंजन के विरूद्ध गठित आरोप अंशतः प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन@अधिगम की प्रति प्रस्तावित दण्ड के साथ श्री रंजन को उपलब्ध कराते हुए उनसे विभागीय पत्रांक-3237 (अनु0) दिनांक 24 सितम्बर, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री रंजन के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग में दिनांक 29 सितम्बर, 2014 को प्राप्त हुआ। श्री रंजन के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम/जाँच प्रतिवेदन एवं श्री रंजन से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की विभाग द्वारा समीक्षा की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री रंजन के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता है:-

1. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक ।

साथ ही, श्री रंजन को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है । झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97(1) के तहत् इनकी निलंबन अवधि की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में की जाएगी ।

इन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश् से,]

मनीषा जोसेफ तिग्गा,

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गज़ट (असाधारण) 163—50+50 ।